


19/12/22

अपीलान्टस के अभिमात्र उप नही। रैस्पों
के अभिमात्र उप। अपीलान्टस के अभिमात्र
को कई बार अन्तराल - अन्तराल में आवेजें
लगवाई गईं परन्तु अपीलान्टस के अभिमात्र
उप नही ड्ये और न ही अपीलान्टस उप ड्ये।
अतः यह अपील अदम दायरी अदम परवी
में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्याया
का अपील अधीन रिमांड व्यक्त मिजवाया जावे।
पत्रावली फौजदारी शुमार होकर नम्बर ६ कम
की जाकर बाद तकमील शरिख रफतार
ही हादेश खुले न्यायालय सुनाया गया।


अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलेक्टर
धौलपुर (राज०)